

सेवा में,

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

M-82

सतर्कता अनुभाग

पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

केन्द्रीय कार्यालय

गुडगाँव

विषय - R.T.I 2005 के अन्तर्गत आवेदन

महोदय,

निवेदन है कि मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली में पावरग्रिड

में व्याप्त भ्रष्टाचार के संदर्भ में 16-06-2016 को ही आवेदन दिया था जिसको कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कार्यालय शासन सं० 39546/2016

दिनांक 19-07-2016 को ही आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता - अधिकारी पावरग्रिड को भेजा गया था। लेकिन दो (02) वर्ष बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई भी कार्रवाई होता प्रतीत नहीं हो रहा है।

जबकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार जांच 90 दिन में समाप्त होनी चाहिए।

यदि आने वाले कुछ समय में यही स्थिति रही तो मैं माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने की कोशिश हो जाऊंगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध करने की कृपा करें।

(1) पावरग्रिड उपकेन्द्र पूर्णियाँ (बिहार) के जिस अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा यह विनीच अनियमितता करती गई है, उसके पावरग्रिड पूर्णियाँ में ही पदस्थापित रहने से जांच प्रभावित हो सकती है, या नहीं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करें।

(2) अरुण कुमार सिंह, अपर महाप्रबंधक पावरग्रिड पूर्णियाँ में ही पदस्थापित रहने से इस जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं, या नहीं। स्पष्ट सूचना उपलब्ध करें।

(3) क्या मुख्य सतर्कता अधिकारी, पावरग्रिड स्वतंत्र हैं कि जब तक चाहे इस मामले की जांच के लिए जायीं रहें। स्पष्ट सूचना उपलब्ध करें।

(4) जांच समाप्त हो गई है, तो रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करें।

P.T.O.

Sharma
h
9/1/19

cc(vig)

